हुक्म की तामील में जारी हुए

22/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा-212 दि. 09/05/25 को पेश हो।

22/4/25
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

9/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा- 212 RT Act r.w. O. 39 R1 & 2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है:-

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया:- अभि० प्रार्थी का बहस प्रपत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी मूलत: वादी, प्रति/अप्रार्थी क्रम 2, व लालचंद के हिस्से 1/3 - 1/3 दर्ज रिकार्ड थी अर्थात दोनो भाई मांगीलाल, लालचंद व माँ डाली बाई के खाते दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थी 2 ने माँ डाली बाई के साथ मिलकर अपना हिस्सा 1/3 व मां का आधा हिस्सा यानी 1/6 कुल 1/3 + 1/6 = 1/2 भाग का बेचान अप्रार्थी क्रम 1 भजन भी क्रेता को कर दिया है। आगे कथन किया कि मौके पर बर्षो से दोनो भाई प्रार्थी व लालचंद 1/2 - 1/2 भाग पर कब्जाकाश्त चले आ रहे थे। मां डाली बाई वृद्ध होने व खेती करने मे असमर्थ होने से कास्त नही करती, ना ही डालीबाई का कब्जा है। मां डालीबाई ने पूर्व मे हुए family settlement से अपना आधा हिस्सा 1/6 प्रार्थी को दे दिया था और शेष आधा हिस्सा 1/6 दूसरे पुत्र लालचंद [illegible] दिया था अत: प्रार्थी कुल भूमि [illegible] (कुल [illegible]) ही खातेदार व कब्जेदार [illegible] क्रेता अप्रार्थी क्रम 1 को प्रार्थी के आधे हिस्से (उत्तर दिशा) पर जबरन कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। बिना खाता विभाजन कराये भजन भी क्रेता अप्रार्थी क्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में

को वादग्रस्त भूमि पर प्रवेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं। अतः प्रकरण प्रथम हुलिया व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अप्रा० अप्रार्थीगण की ओर से बहस का पुरजोर विरोध करते हुए बयान किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी क्रम 2 के पति मगन के खाते दर्ज थी जो विरासत में मांगीलाल, लालचंद व बेवा डालीबाई को प्राप्त हुई थी। तीनों का अपने-2 हिस्से 1/3-1/3 पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी क्रम 2 एक वृद्ध महिला और अलग से रहती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी 2 की कभी भी देखभाल नहीं की और ना ही भरण-पोषण किया अतः अप्रार्थी क्रम 2 ने अपने खर्चों व जरूरतों की पूर्ति के लिये अपनी आराजी हिस्से 1/3 में से आधी भूमि यानी 1/6 का बेचान अप्रार्थी क्रम 1 को कर मौके पर कब्जा सौंप दिया। अप्रार्थी 1 नन्दूबाई वर्तमान में खातेदार दर्ज होकर मौके पर फसल काश्त कर रही है। अप्रार्थी क्रम 2 रिकार्ड खातेदार थी जिसे अपने हिस्से की भूमि के बेचान का पूर्ण हक अधिकार है। अप्रार्थी 2 के शेष बचे हिस्से 1/6 पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम हुलिया अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2073-76 वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1110/252 व 1373/252 कित्ता 2 रकबा 0.5058 hec डालीबाई बेवा मगन, मांगीलाल पुत्र मगन व लालचंद पुत्र मगन जाति मेघवाल हिस्सा 1/3-1/3 की [illegible] जो विरासत में प्राप्त हुई थी। प्रार्थी [illegible] डालीबाई में पूर्व में हुये family [illegible] हिस्से 1/3 की भूमि में से दोनों पुत्रों - मांगीलाल [illegible] व लालचंद - को 1/6-1/6 भाग देकर कब्जा सौंप दिया था और इसी अनुसार सम्पूर्ण 2 बीघा भूमि के उत्तरी दिशा के आधे भाग (1/2) पर प्रार्थी व दक्षिण दिशा के 1/2 भाग पर लालचंद (भाई)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

काबिजकाश्तकार है लेकिन अप्रार्थीगण का कथन है कि ऐसा कोई भी family settlement नहीं हुआ है और अप्रार्थी क्रम 2 अपनी भूमि हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा ऐसे किसी family settlement एवं आपसी राजीनामे पर काबिज काश्त होने का कोई Documentary and oral evidence पेश नहीं किया है। अप्रार्थी क्रम 2 को अपने हिस्से की भूमि के बेचान का हक व अधिकार है। (धारा-41 RT Act)

यह सही है कि संयुक्त परिवार की सह-खातेदारी की कृषि आराजी में हिस्से 1/3 व 1/6 कुल हिस्सा 1/2 का क्रेता अप्रार्थी क्रम 1 एक अजनबी क्रेता है जिसे खाता विभाजन होने तक किसी हिस्से विशेष में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। हाल जमाबंदी संवत 2073-76 (दिनांक 26/5/2024) के अनुसार सह अजनबी क्रेता जरिये नामा० सं० 1676 दिनांक 20/5/24 से राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज हो चुकी है लेकिन इसके कुछ दिन बाद यानी 31/5/2024 को यह suit दर्ज रजिस्टर हो गया था। sec. 44 of the transfer of property Act, के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति में जब कोई अजनबी व्यक्ति सह-स्वामी से उनका हिस्सा क्रय करता है तो उसे अपने हिस्से की खरीद की गई सम्पत्ति का बटवारा करा कर ही संपत्ति में प्रवेश करने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1966 SC 470 मनीकयाला राव बनाम नरासिम्हा स्वामी में अभिनिर्धारित किया गया कि "सह-खातेदारी की भूमि में से अन्य सह-कृषकों ने अपने हिस्से को बेच ~~[illegible]~~ कर सकता है, लेकिन संयुक्त भूमि का क्रयकर्ता बटवारा कराये बिना आराजी में प्रवेश नहीं कर सकता है और यदि उसने प्रवेश कर भी लिया है तो उसका स्वत्व व अधिकार नहीं होता है एवं न्यायालय उसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर सकती है।"

माननीय राजस्व मंडल का [illegible] ने भी देवीलाल व अन्य बनाम [illegible] KRD 149 मामले में अभिनिर्धारित [illegible] कि [illegible] के विरुद्ध इस आशय की [illegible] निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है कि वह सह-कृषकों की वादग्रस्त अविभाजित आराजी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करे एवं वह अविभाजित संयुक्त खातेदारी की आराजी के किसी हिस्से पर किसी भी प्रकार के उपयोग व उपभोग में नहीं लावे, एवं इस सह-काश्तकारी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित नहीं करे"।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के एवं हिस्से 1/3 के हद तक प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया हिस्से 1/3 तक प्रार्थी के पक्ष में साबित है। धारा-41 Rajasthan tenancy Act के अनुसार प्रत्येक खातेदार tenant अपने interest को बेचने के लिये स्वतंत्र है लेकिन धारा-44 transfer of property Act एवं माननीय Supreme court व राजस्व मंडल ने अपने निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अजनबी क्रेता बिना बटवारा कराये प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के मद क्रम 4, व 5, 8 में स्वयं अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि का लगभग 30 वर्षों से दोनों भाईयों के मध्य बटवारा हो रखा है जिसमें उत्तर दिशा की 1 बीघा भूमि प्रार्थी की कब्जे में है (लेकिन इसके समर्थन में कोई भी evidence पेश नहीं किया है) तो फिर दक्षिण दिशा के 1/2 भाग पर अजनबी क्रेता को प्रवेश से रोकना भी न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा द्वारा केवल वादग्रस्त आराजी के उत्तर दिशा के 1/2 भाग यानी 1 बीघा भूमि के सम्बन्ध में ही बेजा मदाखलत, बेजा मजाहमत नहीं करने का ही अनुतोष चाहा है। दक्षिण दिशा की 1 बीघा भूमि पर कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने भी family settlement से पूर्व में बटवारा होकर कब्जा काश्त होने को स्वीकारा है लेकिन बटवारे में तीनों सहखातेदारों की तीन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

टुकड़े होकर तीनो का वर्षों से अपने-२ हिस्सो पर काबिज होने का कथन किया है। तीन हिस्सो मे बटवारा (पारिवारिक) होने का भी कोई evidence अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी के उत्तर दिशा के ½ भाग के हद तक सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी को, अजनबी क्रेता अप्रार्थी क्रम 1 के दक्षिण दिशा के ½ भाग तक प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं की है। केवल वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा के ½ भाग, जिसमे अप्रार्थी क्रम २ का आधा भाग यानी 1/6 हिस्सा भी शामिल है, पर असंतोष चाहा है। अप्रार्थी क्रम 1/6 भाग की रिकार्ड सहखातेदार तीनेंट है। अप्रार्थी २ का बेचानशुदा हिस्से 1/6 पर भी कब्जाकाश्त होना भी साबित नहीं है अतः बिना बटवारे इस 1/6 भाग पर अप्रार्थी क्रम 1 के प्रवेश कर कब्जा करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना जाहिर होता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R1 &2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अजनबी क्रेता अप्रार्थी क्रम 1 को इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी [illegible] रकबा २ बीघा यानी 1.5059 hec [illegible] ½ भाग (1 बीघा) पर [illegible] प्रवेश नहीं करे। पावरन [illegible] पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner